यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, बागेश्वर** के माह 11/2006 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि शंकर एवं श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 12-11-2018 से 15-11-2018. तक श्री बी॰ डी॰ सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर॰ के॰ शर्मा एवं श्री आई॰ के॰ जुयाल अनुभाग अधिकारी के द्वारा दिनांक 10/11/2006 से 15/11/2006 तक संपादित किया गया था जिसमें प्रारम्भ से 10/2006 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2006 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, बागेश्वर द्वारा क्रियाकलाप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान का वितरण आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं। जनपद बागेश्वर के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) रू.	बचत (-) रू.
	स्थापना रू.	गैर स्थापना	आवंटन रू.	व्यय रू.	आवंटन रू.	व्यय रू.		
2006-07	शून्य	शून्य	36.82	34.83	शून्य	शून्य		1.99
2007-08	शून्य	शून्य	39.42	33.06	शून्य	शून्य		6.36
2008-09	शून्य	शून्य	43.00	41.82	शून्य	शून्य		1.18
2009-10	शून्य	शून्य	79.20	64.16	शून्य	शून्य		15.04
2010-11	शून्य	शून्य	97.20	60.68	शून्य	शून्य		36.52
2011-12	शून्य	शून्य	54.49	48.89	शून्य	शून्य		5.60
2012-13	शून्य	शून्य	55.42	52.81	शून्य	शून्य		2.61
2013-14	शून्य	शून्य	59.35	58.49	शून्य	शून्य		0.86
2014-15	शून्य	शून्य	131.68	119.54	शून्य	शून्य		12.14
2015-16	शून्य	शून्य	102.65	96.45	शून्य	शून्य		6.20
2016-17	शून्य	शून्य	140.09	124.43	15.00	15.00		15.66

2017-18	शून्य	शून्य	143.37	141.90	45.00	45.00		1.47
2018-19 (Upto Oct. 2018)	शून्य	शून्य	121.68	89.25	50.00	50.00		32.43

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य (+)/ बचत (-)**
2006-07 to 2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 (Upto Oct. 2018)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई के बजट प्राप्ति को मुख्य स्त्रोत शासन स्तर हैं। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. आयुक्त 3. अपर आयुक्त 4. संयुक्त आयुक्त 5. उपायुक्त 6. जिला पूर्ति अधिकारी 7. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी 8. पूर्ति निरीक्षक 9. लेखाकार आदि

(vi) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, बागेश्वर को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2009, 03/2011, 03/2015, 06/2015, 05/2017 एवं 04/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त बजट का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर 01- आंतरिक भंडारों को खाद्यान का कम वितरण होने से योजना का पूर्ण रूप से लागू न किया जाना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार खाद्यानों का वितरण राशन कार्डों तथा उनमें अंकित यूनिटों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसके तहत भारत सरकार की दो योजनाये; अन्तोद्य तथा प्राथमिक परिवार लागू की गयी हैं। अन्तोद्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को प्रति माह 13.30 किग्रा॰ गेंहू तथा 21.70 किग्रा॰ चावल (कुल 35 किग्रा॰ प्रति माह प्रति कार्ड) आबंटित किया जाना चाहिए था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, बागेश्वर की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ; 1) वर्ष 2016-17 में जनपद में 11 आंतरिक गोदाम थे जिनसे 6752 अन्तोद्य कार्डो पर खाद्यान निर्गत किया जा रहा था इस प्रकार गेहूं के लिए कुल आबंटन (कार्डों की संख्या X 0.133 कुंतल X 12 माह) 6752X 0.133 X 12=10776.19 कुंतल होना चाहिए था जबकि जनपद में कुल 8980.16 कुंतल गेहूं आबंटित किया गया था जो की निर्धारित मात्रा से 1796.03 कुंतल कम था इस कमी के कारण 1.596 (0.133X12=1.596) कुंतल प्रति वर्ष प्रति कार्ड की दर से (1796.03/1.596=1125) 1125 राशन कार्ड धारकों को योजना का सही लाभ उपलब्ध नहीं कराया गया।

2) पुनः इसी वर्ष अन्तोद्य योजना के अंतर्गत उपरोक्त गोदामों को चावल का भी वितरण कम किया गया, 6752 कार्ड धारकों के अनुसार आंतरिक गोदामों का वार्षिक आबंटन 6752 X 0.217 X 12 = 17582.21 कुंतल होना था जबकि वास्तव में कुल 14651.84 कुंतल ही वितरित किया गया था जोकि मानकों से 2930.37 कुंतल कम था जिससे 1125 कार्ड धारकों को योजना का सही लाभ नहीं पहुंचाया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2016-17 मे राशन कार्डों का आधार सीडिंग पूर्ण न होने के कारण गलत/ फेक राशन कार्ड धारकों को खाद्यान का गलत वितरण न हो जिस कारण इस वर्ष खाद्यान का आबंटन आंशिक रूप से कम किया गया ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अंतोदय कार्ड धारकों को नियमित रूप से खाद्यान उपलब्ध कराया जाना था चूँकि खाद्यान का कम आबंटन किया गया जिससे योजना को प्रशासनिक कारणों/ कमी से पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-02: विभागीय उदसीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में कार्यदायी संस्था के द्वारा धनराशि ₹ 60.00 लाख से बनने वाले गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण न किया जाना।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या : --/16-XIX-2 /01 खाद्य/2013 दिनांक 03.06.2016 के द्वारा जनपद बागेश्वर के स्थान काफलीगैर के ग्राम सिन्दूरी में 200 मी॰ टन क्षमता के खाद्यान गोदाम निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा तैयार आगणन ₹ 61.83 लाख के सापेक्ष तकनीकी सलाहकार समिति (टी ए सी) से परीक्षण उपरांत धनराशि ₹ 60.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त की धनराशि ₹ 15.00 लाख के व्यय की वित्तीय स्वीकृति विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक पूर्ति विभाग, बागेश्वर के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग बागेश्वर से अगस्त 2016 में समझौता ज्ञापन गठित करते हुये निर्माण कार्य 18 माह में पूर्ण करना निर्धारित किया गया जिसमें धनराशि प्राप्त होने के चार माह में 25 प्रतिशत, आठ माह में 50 प्रतिशत बारह माह में 75 प्रतिशत सोलह माह में 100 प्रतिशत किया जाना था तथा अट्ठारह माह में तैयार कर पूर्ण परियोजना को सौंपा जाना था। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि ₹ 15.00 लाख अगस्त 2016 में अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग बागेश्वर को हस्तांतरित कर दी। कार्यदायी संस्था के द्वारा अप्रैल 2017 तक 20 प्रतिशत एवं सितम्बर 2017 तक 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया, जबकि उक्त अवधि तक 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया जाना था। शासन द्वारा द्वितीय एवं अन्तिम किश्त धनराशि ₹ 45.00 लाख की स्वीकृति अक्टूबर 2017 में प्रदान कर दी गयी जिसे जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दिसम्बर 2017 में हस्तांतरित कर दिया गया। कार्यदायी संस्था के द्वारा सितम्बर 2018 तक केवल 55 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया गया था। कार्यदायी संस्था के द्वारा निर्माण कार्य मन्द गति से किया जा रहा था जिसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा केवल जून 2018 में निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण न किए जाने एवं धनराशि ₹ 35.00 लाख अव्ययित पड़े होने के संबंध में जानकारी चाही गयी थी। लेकिन विभाग को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

उक्त से स्पष्ट था कि विभागीय उदसीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में कार्यदायी संस्था के द्वारा धनराशि ₹ 60.00 लाख से बनने वाले गोदाम का निर्माण कार्य मन्द गति से किया जा रहा था जिसके पूर्ण कराये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न किए जाने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के गोदामों से अधिक दूरी होने से खाद्यान के माल भाड़े का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर पूर्ति अधिकारी ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि निर्माण कार्य मंद गति से किए जाने के सम्बंध में कार्यदायी संस्था के साथ पत्राचार किया

जा रहा है। वर्तमान में निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाए जाने हेतु कोई अनुबंध नहीं किया गया है। उक्त क्षेत्र में 12 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकाने संचालित हैं। वे जनपद अल्मोड़ा से खाद्यान का उठान कर रहे हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा कार्यदायी संस्था को प्रथम किश्त की धनराशि जारी किए हुये 25 माह से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी केवल 55 प्रतिशत कार्य ही किया गया जबकि निर्माण कार्य प्रथम किश्त जारी होने के 18 माह में पूर्ण किया जाना था । पूर्ति अधिकारी के द्वारा धनराशि ₹ 60.00 लाख से बनने वाले गोदाम का निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु न तो उसका समय -समय पर निरीक्षण किया गया और न ही पूर्ण कराये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास किया गया। जिससे निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न किए जाने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 12 दुकानों को अधिक दूरी से खाद्यान उठाना पड़ रहा था तथा सरकार पर माल भाड़े का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था।

अतः विभागीय उदसीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में कार्यदायी संस्था के द्वारा धनराशि ₹ 60.00 लाख से बनने वाले गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-03 : जनपद में राशन कार्डों का आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी लाभार्थियों को आधार सीडिंग तथा डिजिटाइजेशन करने का कार्य जून 2017 तक पूर्ण कर लिया जाये जिसके सन्दर्भ में खाद्य आयुक्त द्वारा निर्देशित (मई 2017) किया गया था कि सभी लाभार्थियो का आधार सीडिंग तथा इनका डिजिटैजेशन जून 2017 तक अनिवार्य रूप से किया जाये। क्योंकि ऐसा न होने की दशा में राज्य के कोटे पर निर्गत सब्सिडाइज्ड राशन की मात्रा पर विपरीत असर पड़ रहा था। अतः राज्य हित में उक्त कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण किया जाना अति आवश्यक था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक पूर्ति विभाग, बागेश्वर के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद में अभी तक कुल 65315 राशन कार्डों में से 868 (3 प्रतिशत) राशन कार्डों का आधार सीडिंग का कार्य अपूर्ण था तथा 275447 यूनिटों में से 28243 (10 प्रतिशत) यूनिटों का आधार सीडिंग अपूर्ण था। उक्त राशन कार्डों/ यूनिटों को बिना आधार सीडिंग के खाद्य निर्गत जा रहा था।

लेखा परीक्षा में कारण पूछे जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि आधार सीडिंग का कार्य प्रगति पर है, इसे शतप्रशित पूर्ण करने का प्रयास जारी है।

विभाग का उत्तर संतोषजंक नहीं है क्योंकि आदेशानुसार यह कार्य वर्ष 2016-17 के अंत तक पूर्ण किया जाना था किन्तु विभाग द्वारा अक्टूबर 2018 तक 868 कार्डों तथा 28,243 यूनिटों का आधार सीडिंग का कार्य नहीं किया गया था।

अतः जनपद में राशन कार्डों का आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:4- सस्ता गल्ला विक्रेताओ को नियमित भुगतान न किये जाने के कारण धनराशि रू॰ 32.96 लाख अवरूद्ध रहना।

मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा ढुलान भाड़ा की धनराशि जिला आपूर्ति अधिकारियो को इस आशय के साथ उपलब्ध करायी जाती है कि समस्त विधालयों तक सस्ता गल्ला विक्रेताओ के द्वारा खाद्यान कि नियमित आपूर्ति की गयी है।

इकाई के खाद्यान हेतु ढुलान भाड़ा से संबन्धित अभिलेखो कि नमूना लेखा परीक्षा मे पाया गया कि काँड़ा, भराड़ी, गरुड, बागेश्वर मे मध्याह्न भोजन खाद्यान का ढुलान करने वाले श्री कमलेश पांडे, ढुलान ठेकेदार के वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि के ढुलान से संबन्धित देयक लंबित थे तथा ढुलान भाड़े से संबन्धित अभिलेखो के अनुसार वर्ष 2017-18 में रु. 32.96 लाख की धनराशि अवशेष थी जिससे स्पष्ट है कि सस्ता गल्ला विक्रेताओ को ढुलान भाड़े का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा था।

इस प्रकार मध्याह्न भोजन योजना ढुलान भाड़ा के अंतर्गत रू॰ 32.96 लाख की अत्यधिक धनराशि अवशेष थी और गल्ला विक्रेताओ को ढुलान भाड़े के कम देयकों का भुगतान किया गया था। अभिलेखो से स्पष्ट था कि इकाई को MDM ढुलान भाड़ा मद मे वर्ष 2016-17 मे रू॰ 590948/- तथा वर्ष 2017-18 मे रू॰ 748244/-की धनराशि प्राप्त हुई थी जिसके सापेक्ष व्यय क्रमश: 3,72,594/- (63%) तथा 214789/- (28.07%) ही व्यय किया गया था। इससे परिलक्षित होता है कि जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओ को नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा था जिस कारण जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय मे रू॰ 32.96 लाख की धनराशि अवशेष थी, जिससे सस्ता गल्ला विक्रेताओ द्वारा खाद्यान के ढुलान पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था, साथ ही रू॰ 32.96 लाख की धनराशि इकाई मे अवरुद्ध भी थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि उक्त अवधि मे समयअंतर्गत बिल प्राप्त न होने के कारण प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय कम हुआ। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्राप्त धनराशि को वित्तीय वर्ष अंत तक बिलो के भुगतान मे व्यय किया जाना चाहिए था । समयअंतर्गत बिल प्राप्त न होने की स्थिति मे प्राप्त धनराशि को शासन को समर्पित किया जाना चाहिया था, जिसे इकाई द्वारा नहीं किया गया था।

अत: प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-01: पेट्रोल पम्पों द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन जांच न किए जाने से पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाना।

पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों के अधीन मोटर वाहनों में ईंधन डालने के लिए पम्प आउटफिट के संबंध में टैंक में पेट्रोलियम भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति के अनुसार पेट्रोलियम वर्ग क परिसर के लिए उसकी क्षमता के अनुसार भूमिगत गैस टाईट टैंक जो निर्धारित विदयुत चालित/ हस्तचालित डिस्पेंसिंग पंपों से जुड़े होने चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार कोई भी निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत दिशा निर्देशों एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमि॰ के अपने मानकों के अनुसार करना होगा।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, बागेश्वर में पेट्रोल पम्पों के लाइसेन्स अभिलेखों की जाँच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद में विभाग द्वारा पेट्रोल पम्पों की अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार जांच नहीं की जा रही थी। पेट्रोल पम्पों के द्वारा भूमिगत गैस टाईट टैंक से निर्धारित विद्युत चालित/ हस्तचालित डिस्पेंसिंग पंपों से निर्धारित नोजलों से अधिक नोजल लगाये जाने की जांच भी विभाग द्वारा नहीं की गयी। विभाग द्वारा जनपद के 07 पेट्रोल पम्पों में से 03 से प्रारूप XIV प्राप्त किया गया शेष 04 से प्रारूप XIV प्राप्त ही नहीं किए गए जिससे यह पता चल सके कि शेष 04 पेट्रोल पम्पों में कितने नोजल लगाने की शासन से स्वीकृति प्राप्त हुयी थी। वर्तमान में उक्त पेट्रोल पम्पों की वास्तविक स्थिति अभिलेखों से स्पष्ट नहीं हो पायी। लाइसेन्स की निर्धारित शर्तों के अनुसार रिटेल आउटलेट निर्माण कार्य प्रस्तावित प्लान के अनुसार ही किया गया था एवं कार्यस्थल पर वर्तमान में अनुमोदित प्लान में फेरबदल किया गया इसकी जांच भी नहीं की जा रही थी।

उक्त से स्पष्ट था कि विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में प्रकरण की जांच नियमों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन न किए जाने से पेट्रोल पम्पों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर पूर्ति अधिकारी ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि 04 पैट्रोल पम्पों से प्रोफ़ार्मा XIV प्राप्त किया जायेगा। वर्तमान में पैट्रोल पम्पों के नोजलों की जांच नहीं की जा रही है, भविष्य में जांच की जायेगी। निर्धारित शर्तों के अनुसार पेट्रोल पंपों की जांच नहीं की जा रही है भविष्य में की जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी की स्वीकारोक्ति यह दर्शाती है कि कार्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार पेट्रोल पंपों की जांच नहीं की जा रही थी तथा निर्धारित सीमा से अधिक नोजल लगाए जाने से सम्बन्धी भी कोई जाँच नहीं की गयी और पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

अतः विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:2- धनराशि रू. 1.67 लाख की वसूली लंबित रहना।

जिला पूर्ति अधिकारी, बागेश्वर द्वारा रिवोल्विंग फ़ंड के अंतर्गत कार्डो का मुद्रण कराकर संबन्धित इकाइयो को वितरित किया जाता है एवं उनसे वितरित किए गए कार्डो का मूल्य वसूल कर रिवोल्विंग फ़ंड खाता स॰ sbi 10834317370 मे जमा करना होता है। इकाई द्वारा NFSA, BPL, अंतोद्य योजना (AAY) व राज्य खाद्य योजना (SFY) के अंतर्गत मुद्रित कार्ड शासन द्वारा निर्धारित मूल्य क्रमश: 5/-, 5/-, 5/-, 10/- की दर से ब्लॉको एवं नगरीय क्षेत्र के उपभोक्ताओ को जारी करने हेतु निर्गत किए। ब्लॉको एवं नगरीय क्षेत्र को जारी किए गए कार्डो का मूल्य उनसे प्राप्त कर रिवोल्विंग फ़ंड मे जमा करना होता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका (volume-v, part-1) के नियम 26 मे स्पष्ट वर्णित है कि Government servants receiving money on behalf of Government, should be enterned in the receipt. The officer should satisfy himself at the time of signing the receipt that the amount has been entered in the cash-book.

इकाई के लेखा-अभिलेखो की नमूना लेखा-परीक्षा जांच मे पाया गया की 11/2006 से 10/2018 की अवधि मे ग्रामीण क्षेत्रो को ग्रामीण क्षेत्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA), अन्तोद्य योजना (AAY), गरीबी रेखा (BPL) एवं राज्य खाद्य योजना (SFY) के अंतर्गत ब्लॉक गरुड़ में 20396 कार्ड निर्गत किये गये।, जिनका मूल्य रु. 1,43,270/- था, ब्लॉक कपकोट में 21640 कार्ड निर्गत किए गये, जिनका मूल्य रु. 1,53,220/- था, तथा ब्लॉक बागेश्वर में 30302 कार्ड निर्गत किए गये, जिनका मूल्य 2,18,015/- था। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 72338 कार्ड निर्गत किए गए जिनका कुल मूल्य रु. 5,14,505/- था जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा कुल रु. 3,47,785/- की वसूली लेखापरीक्षा तिथि तक की गयी थी, शेष धनराशि रु. 1,66,720/-, 2 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी लंबित थी। शहरी क्षेत्रों में जारी कार्डों का कुल मूल्य इकाई में प्राप्त था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि धनराशि जमा किए जाने के लिए पत्रालेख प्रेषित किए गये है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि धनराशि रु. 1.67 लाख की वसूली 12 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी लम्बित थी एवं विभागीय क्षति से बचाने के लिए धनराशि रु. 1.67 लाख की यथाशीघ्र वसूली की जानी चाहिए थी।

अत: रू. 1.67 लाख की वसूली लंबित रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
158/2006-07	शून्य	01,02,03	00

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
---- अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या अप्रस्तुत-----				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
3. (i) अनिस्तारित प्रस्तरों के उत्तरों की अनुपालन आख्या।
   (ii) रोकड़ बही 11/2006 से 03/2015
   (iii) 10/2009 के प्राप्ति के चालान
4. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
5. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	श्री मोहन सिंह बिष्ट	जिला पूर्ति अधिकारी	11/2006 से 28/06/09
2	श्री प्रदीप कुमार सिंह सैगर	जिला पूर्ति अधिकारी	29/06/09 से 24/08/09
3	श्री शिव चरण द्विवेदी	उप जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी	25/08/09 से 11/10/09
4	श्री श्याम आर्य	प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी	12/10/09 से 02/05/10
5	श्री शिव चरण द्विवेदी	उप जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी	03/05/10 से 11/08/10
6	श्री श्याम आर्य	प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी	12/08/10 से 13/08/12
7	श्री फियाराम	उप जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी	13/08/12 से 10/02/14
8	श्री जसवंत सिंह कंडारी	प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी	11/02/14 से 17/06/18
9	श्री अरुण कुमार वर्मा	जिला पूर्ति अधिकारी	18/06/18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.